ALL-IN-ONE PAPERATHON

UNCODIFIED LAW

(असंहिताबद्ध विधि)

- प्रशासनिक विधि (Administrative Law)
- संविधियों का निर्वचन (Interpretation of Statute)
- न्यायशास्त्र (Jurisprudence)
- जनहित याचिका (PIL)
- अपकृत्य विधि (Law of Torts)

Sample Preview

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

हिंदी संस्करण

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Sample Preview

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

INDEX

Sr. No.	Subjects	Page No.
Part – I (Prelims MCQs)		
1.	प्रशासनिक विधि	1-13
2.	संविधियों का निर्वचन	14-30
3.	न्यायशास्त्र	31-39
4.	जनहित याचिका (PIL)	40-47
5.	अपकृत्य विधि	48-68
Part – II (Mains Questions Solved)		
6.	प्रशासनिक विधि	69-93
7.	संविधियों का निर्वचन	94-108
8.	न्यायशास्त्र	109-151
9.	जनहित याचिका (PIL)	152-164
10.	अपकृत्य विधि	165-214
Part – III (Interview Questions Solved)		
11.	प्रशासनिक विधि	215-230
12.	संविधियों का निर्वचन	231-243
13.	न्यायशास्त्र	244-252
14.	जनहित याचिका (PIL)	253-254
15.	अपकृत्य विधि	255-265
16.	Scan QR for Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)	266

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

प्रशासनिक विधि

1. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें :

कथन 1 : प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण उन राज्यों के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करता है ।

कथन 2 : अवमानना के प्रयोजनों के लिए, एक अधिकरण उच्च न्यायालय के समान शक्तियों का प्रयोग करता है, और न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 में "उच्च न्यायालय" के संदर्भों में ऐसे अधिकरणों को शामिल करने के लिए व्याख्या की जाती है।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?

(A) कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं
(B) केवल कथन 1 सत्य है
(C) केवल कथन 2 सत्य है
(D) दोनों कथन सत्य हैं

[AIBE - XX 2025]

Ans[D]

लिंकिंग प्रावधान: - प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 — **धारा 4(3)** (संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण का क्षेत्राधिकार) तथा धारा 17 (अवमानना मामलों में अधिकरण की शक्तियाँ, जो उच्च न्यायालयों के समान हैं, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत)।

स्पष्टीकरण: **धारा 4(3)** –दो या अधिक राज्य, उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि उन राज्यों में से किसी एक या सभी ने उस उपधारा के अंतर्गत न्यायाधिकरण स्थापित कर रखे हों, इस बात पर सहमति कर सकते हैं कि वही प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रत्येक सहभागी राज्य का प्रशासनिक न्यायाधिकरण होगा। यदि यह समझौता केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है और भारत के राजपत्र तथा प्रत्येक राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है, जो उन राज्यों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।

धारा 17- किसी न्यायाधिकरण को अपने प्रति अवमानना (Contempt) के मामलों में वही अधिकार, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे जो किसी उच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं। इसके लिए न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 70, 1971) की प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों सहित लागू किया जाएगा

- **वक्तव्य 1**: प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(3) के अंतर्गत, दो या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को उन्हीं राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के समान क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं — सही।
- **वक्तव्य 2:** अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, किसी अधिकरण को अपनी अवमानना के संबंध में उच्च न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और न्यायालयों की अवमानना अधिनियम, 1971 में "उच्च न्यायालय" का जो उल्लेख है, उसमें ऐसे अधिकरण भी सम्मिलित माने जाते हैं — सही।

चूँकि दोनों वक्तव्य सही हैं, उत्तर है (D) — दोनों वक्तव्य सही हैं।

2. अधिकार प्रशासन किस प्रशासन का है:

(1) फ्रांसीसी प्रणाली
(2) ब्रिटिश प्रणाली
(3) अमेरिकन प्रणाली
(4) आयरिश प्रणाली

[AIBE - XII 2018]

Ans. [1]

स्पष्टीकरण- फ्रांसीसी प्रशासनिक विधि को ड्रोइट प्रशासन के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है नियमों का एक निकाय जो लोक प्रशासन के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और देश के नागरिकों के साथ प्रशासन के संबंधों को विनियमित करता है। यह संसद द्वारा अधिनियमित नियमों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें केवल प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा विकसित नियम शामिल हैं।

3. प्रत्यायोजित विधान को कब संवैधानिक घोषित किया गया?

(1) बेरूबारी मामले में
(2) दिल्ली विधि अधिनियम मामले में
(3) केशवानंद भारती मामले में
(4) मेनका का गांधी मामले में

[AIBE - XIII 2018]

Ans. [2]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. 1960 में बेरुबारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
2. बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले में, यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना अब संविधान का एक अभिन्न अंग है, हालांकि इसे किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है।
3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ एक ऐतिहासिक मामला है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता है।

स्पष्टीकरण :- दिल्ली विधि अधिनियम, 1951 - इस मामले ने नियम स्थापित किया कि हालांकि पहले से मौजूद कानूनों में संशोधन करने का अधिकार एक अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है, लेकिन किसी विधि की मौलिक संरचना में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

4. "परमादेश " किस के द्वारा जारी किया जा सकता है

(1) सर्वोच्च न्यायालय
(2) उच्च न्यायालय
(3) जिला न्यायालय
(4) (1) और (2) दोनों

[AIBE - XIII 2018]

Ans. [4]

लिंकिंग प्रावधान :- अनुच्छेद 32 L/w 139, 226, 358, 359 COI।

स्पष्टीकरण :- अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। एक भारतीय नागरिक पांच विशेषाधिकार रिटों के माध्यम से न्याय की मांग कर सकता है जो इस प्रकार हैं -

1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (शरीर आपके पास हो सकता है / हमें शरीर लेने दीजिए)।
2) परमादेश (हम आदेश देते हैं)
3) निषेध (निषेध करना या आदेश पर रोक लगाना)
4) अधिकार – पृच्छा (किस प्राधिकार या वारंट द्वारा)
5) उत्प्रेषण (प्रमाणित होना या सूचित होना)।

5. प्रशासन न्यायाधिकरणों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है

(1) 42वां संशोधन
(2) 44वां संशोधन
(3) 24वां संशोधन
(4) 43वां संशोधन

[AIBE - XIII 2018]

Ans. [1]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. अनुच्छेद 51A का भाग IVA मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 39A, 43A, 48A, 323A, 323B इसे संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।

Sample Preview

Interpretation of Statute

1. "Heydon's case" का नियम कहलाता है -
(1) रिष्टि का नियम
(2) निर्वचन का स्वर्णिम नियम
(3) एज्यूस्डेम जेनेरिस का नियम
(4) युक्तियुक्त व्याख्या का नियम

[RJS 2025]

Ans. [1]
स्पष्टीकरण:- हेडन केस के नियम को रिष्टि नियम के नाम से भी जाना जाता है। वैधानिक निर्वचन के इस सिद्धांत के तहत न्यायालयों को उस "रिष्टि" या समस्या की पहचान करनी होती है जिसे विधायिका विधि का प्ररूप तैयार करते समय हल करना चाहती थी, ताकि रिष्टि को दबाया जा सके और संसद द्वारा प्रदत्त उपाय को आगे बढ़ाया जा सके। इस नियम को लागू करके, न्यायाधीश यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि क़ानून का निर्वचन इस तरह से किया जाए जो विधि के उद्देश्य और भावना के अनुरूप हो, जिससे प्रभावी रूप से "रिष्टि को दबाया जा सके और उपाय को आगे बढ़ाया जा सके"।

2. "जब विशिष्ट शब्दों का अनुगमन सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है तो उन सामान्य शब्दों का अर्थ भी उन विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में किया जाना चाहिए एवं सामान्य शब्दों को भी उतना ही सीमित माना जाना चाहिए, जितना विशिष्ट शब्द है"
उपरोक्त नियम है -
(1) सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम
(2) व्याख्या का स्वर्णिम नियम
(3) दण्डतीय व्याख्या का नियम
(4) सहयोजन का नियम

[RJS 2024]

Ans. [3]
स्पष्टीकरण: - Ejusdem Generis' एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है "समान प्रकार और प्रकृति का"। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब कुछ निर्दिष्ट शब्द होते हैं जिनका अनुसरण सामान्य शब्दों द्वारा किया जाता है। यदि सामान्य शब्दों के अर्थ में कोई अस्पष्टता हो तो यह सिद्धांत लागू किया जाता है। यह सिद्धांत प्रदान करता है कि सामान्य शब्द जो निर्दिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं वे निर्दिष्ट शब्दों के उसी वर्ग तक सीमित होंगे। इस सिद्धांत की शर्तें या तत्व इस प्रकार हैं:
- विधि में विशिष्ट शब्दों की गणना शामिल है,
- गणना के विषय एक वर्ग या श्रेणी का गठन करते हैं;
- वह वर्ग या श्रेणी गणना से समाप्त नहीं होती है;
- सामान्य शर्तें गणना का अनुसरण करती हैं; और
- किसी भिन्न विधायी आशय का कोई संकेत नहीं है।

3. विधिक कहावत "Ut Res Magis Valeat Onam Pareatis" भी कहलाती है
(1) सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का नियम
(2) उचित निर्माण का नियम
(3) एजुस्डम जेनेरिस का नियम
(4) व्याख्या का स्वर्णिम नियम

[RJS 2024]

Ans. [2]
स्पष्टीकरण: - उचित निर्माण 'Ut Res Magis Valeat Onam Pareatis' के सिद्धांत का पालन करता है जिसका अर्थ है कि जब विधि की व्याख्या की जाती है तो वह सार्थक और समझदार तरीके से की जानी चाहिए। यदि किसी विधि की दो व्याख्याएँ हैं जिनमें से एक पूरी तरह से अस्पष्ट और बेतुकी है और दूसरी पूरी तरह से अर्थपूर्ण है तो उस सार्थक व्याख्या का उपयोग किया जाना चाहिए।

4. निम्नलिखित में से कौनसा विधि के अर्थान्वयन अथवा निर्वचन हेतु आंतरिक रूप से सहायक नहीं है:
(a) एक अधिनियम का लम्बा शीर्षक
(b) उदाहरण
(c) धारा में संलग्न पार्श्व टिप्पणी
(d) विधि की प्रस्तावना

[RJS 2017]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण - निर्वचन के आंतरिक सहयोगी: -
- छोटे शीर्षक या संक्षिप्त नामदीर्घ शीर्षक
- उद्देशिका
- धाराओं के शीर्षक
- परिभाषा व निर्वचन खंड
- परंतुक
- दृष्टांत व उदाहरण
- अपवाद व व्यावृत्ति खंड
- स्पष्टीकरण
- अनुसूची
- विराम चिन्ह

निर्वचन के बाहरी सहयोगी: -
- शब्द कोश
- पाठ्य पुस्तकें
- ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि
- विधायी इतिहास
- प्रथा

5. 'Rule in Heydon's case', के रूप में भी जाना जाता है;
(a) सप्रयोजन अर्थान्वयन
(b) संविधि से अनुपबंधित विषय
(c) शाब्दिक अर्थान्वयन
(d) समरसतापूर्ण अर्थान्वयन

[RJS 2018]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण - रिष्टि का नियम या सप्रयोजन अर्थान्वय - को रूल ऑफ हिडन केस के नाम से जाना जाता है। न्यायालय निर्वचन करते समय रिष्टि के नियम का प्रयोग कर निम्न बाते देखेगा-
1. अधिनियम को पारित करने से पूर्व सामान्य विधि क्या थी?
2. उस विधि मे क्या दोष था।
3. दोष के निदान के लिए क्या उपचार संकल्पित किया?
4. उपचार के पीछे कारण क्या था?

6. अर्थान्वयन का नियम 'Nocsitur a sociis' से अभिप्राय है;
(a) शब्द का अर्थ आसपास के शब्दसमूह से निकाला जाता है।
(b) विशिष्ट एवं सामान्य शब्दों के मध्य की असंगति में सामंजस्य करना।
(c) विधि में कोई शब्द अनावश्यक नहीं है।
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

[RJS 2018]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण - Nocsitur a sociis - "सह्चर्येण ज्ञातये" - जब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनके अर्थ सादृश्य हो एक साथ प्रयोग किये जाए तो उन्हे उनके सजातीय अर्थ मे समझा जाना चाहिए।

7. निर्वचन के ..... के अनुसार, एक शब्द का अर्थ उसके साथ वाले शब्द के आधार पर आंका जाता है।
(a) रिष्टि के नियम
(b) स्वर्णिम नियम
(c) साहचर्य के नियम

Sample Preview

Jurisprudence

Meaning, Nature and Scope of Jurisprudence

1. किसने कहा है कि "लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है"?
(a) न्यायाधीश एटकिन ने
(b) न्यायाधीश राइट ने
(c) न्यायाधीश डैनी ने
(d) न्यायाधीश बोरो ने

[UP PSC(J) 2012]

Ans. [d]
स्पष्टीकरण:- 1824 में जस्टिस बरोज़ ने कहा कि सार्वजनिक नीति एक बहुत ही बेलगाम घोड़ा है।

2. "विधिशास्त्र का विषय विध्यात्मक विधि है, विधि जिसे सहज में और यथार्थतः ऐसा कहा जाता है अथवा राजनीतिक वरिष्ठों द्वारा राजनीतिक, कनिष्ठों के लिए बनायी गयी विधि है।" ऐसा कहा:
(a) ऐलन ने
(b) बकलैण्ड ने
(c) ऑस्टिन ने
(d) बेन्थम ने

[UP PSC(J) 2012]

Ans. (b)
स्पष्टीकरण:- जॉन ऑस्टिन, जो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, ने न्यायशास्त्र को सकारात्मक विधि का अध्ययन बताया। उनके अनुसार विधि वह है जो राजनीतिक वरिष्ठ द्वारा राजनीतिक कनिष्ठों के लिए बनाई जाती है। उन्होंने विधि और नैतिकता को अलग माना और कहा कि न्यायशास्त्र केवल और सख्ती से विधि से संबंधित है।

3. निम्न में से किसे अंग्रेजी (आंग्ल) विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है, मुख्यतः
(a) ऑस्टिन को
(b) बेन्थम को
(c) सामण्ड को
(d) रोस्को पौण्ड को

[UP PSC(J) 2012]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण:- ऑस्टिन को अंग्रेजी न्यायशास्त्र का जनक और विश्लेषणात्मक विद्यालय का संस्थापक कहा जाता है।

4. "विधिशास्त्र वकीलों का बहिमुखता का स्वर्ग है।" यह किसने कहा?
(a) सैविग्नी ने
(b) सामण्ड ने
(c) जूलियस स्टोन ने
(d) बकलैण्ड ने

[UP PSC(J) 2012]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण:- जूलियस स्टोन ने कहा कि न्यायशास्त्र एक वकील का अपव्यय है। उन्होंने आगे कहा कि यह कानून के अलावा अन्य विषयों में वर्तमान ज्ञान से प्राप्त प्रकाश में कानून की अवधारणा, विचारों और तकनीकों की एक वकील की परीक्षा है।

5. निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है?
(a) दुर्गा भगवती की मूर्ति
(b) केरल राज्य
(c) एक पंजीकृत सोसाइटी
(d) मस्जिद

[UP PSC(J) 2013, 2016]

Ans. [d]
स्पष्टीकरण:- न्यायशास्त्र में, किसी इकाई या व्यक्ति को कानूनी व्यक्ति के रूप में तभी जिम्मेदार ठहराया जाता है जब वह मुकदमा करने में सक्षम हो और अदालत में मुकदमा दायर किया जा सके। उदाहरण के लिए, एक कानूनी व्यक्ति एक कंपनी, एक राज्य, एक आदर्श, एक ट्रेड यूनियन आदि हो सकता है।

6. विधिशास्त्र को पृथक विद्या के रूप में किसने प्रतिपादित/प्रस्तुत किया था?
(a) हिन्दू मनीषियों ने
(b) ईसाई समुदाय ने
(c) रोमन ने
(d) यहूदियों ने

[UP PSC(J) 2013]

Ans. [c]
स्पष्टीकरण:- ज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में न्यायशास्त्र का अध्ययन रोमनों द्वारा शुरू किया गया था लेकिन आधुनिक अर्थ में रोमनों द्वारा दिया गया न्यायशास्त्र का अर्थ बहुत अस्पष्ट और सामान्य है, समय की प्रगति के साथ सामाजिक परिस्थितियों और मानव में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। व्यवहार जिसके परिणामस्वरूप प्रवृत्ति में बदलाव आया और न्यायशास्त्र की परिकल्पना व्यापक परिप्रेक्ष्य में की जाने लगी।

7. ऑस्टिन की पुस्तक "दी प्रॉविन्स ऑफ जुरिस्प्रूडेन्स डिटरमिन्ड" है :
(a) उसकी आत्मरक्षा
(b) लंदन विश्वविद्यालय में दिये गये स्पष्टीकरण न
(c) संसदीय सरकार पर ग्रे के निबंध का उत्तर
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[UP PSC(J) 2015]

Ans. [b]
स्पष्टीकरण:- द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रुडेंस डिटरमाइंड जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो पहली बार 1832 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कानून के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है जिसे आम तौर पर 'कमांड थ्योरी' के रूप में जाना जाता है। ऑस्टिन का मानना था कि सामान्य न्यायशास्त्र का विज्ञान मौलिक कानूनी धारणाओं के स्पष्टीकरण और व्यवस्था में शामिल है।

8. "विधिशास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धान्तों का वैज्ञानिक संश्लेषण है" कथन है :(repeated)
(a) एलेन का
(b) हॉलैण्ड का
(c) बैन्थम का
(d) ऑस्टिन का

[UP PSC(J) 2015, UP PSC(J) 2018, UP PSC(J) 2023]

Ans. [a]
स्पष्टीकरण:- डॉ. के.सी. एलन: न्यायशास्त्र कानून के सभी आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। VII) जी.डब्ल्यू. पाटन: न्यायशास्त्र अध्ययन की एक विशेष पद्धति है, किसी एक देश के कानून का नहीं, बल्कि कानून की सामान्य धारणा का।

Meaning and Nature of Law, Morality

9. "विधिशास्त्र मानवीय एवं दैवीय वस्तुओं का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है।" यह कथन है :
(a) एलेन का
(b) अल्पियन का
(c) जूलियस स्टोन का
(d) ऑस्टिन का

[UP PSC(J) 2015, 2016]

Ans. [b]
स्पष्टीकरण:- उलपियन- उलपियन एक रोमन न्यायविद् थे, उनके अनुसार न्यायशास्त्र चीजों, दिव्य और मानव का ज्ञान, सही और गलत का विज्ञान है।

Sample Preview

Law of Torts

1. शब्द अपकृत्य किस भाषा का शब्द है:
(1) लैटिन शब्द
(2) फ्रेंच शब्द
(3) अंग्रेजी शब्द
(4) इतालवी शब्द

[AIBE- XI 2017]

Ans. [2]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(m)- "अपकृत्य" परिभाषित **(परिसीमा अधिनियम)।**
स्पष्टीकरण- "अपकृत्य" शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है। यह अंग्रेजी शब्द "दोष" के बराबर है। सैलमंड ने अपकृत्य को "एक सिविल दोष जिसके लिए उपाय गैर-निर्धारण नुकसानों के लिए आम विधिक कार्यवाही है और जो विशेष रूप से न्यास भंग या अन्य मात्र न्यायसंगत दायित्व का उल्लंघन नहीं है" के रूप में परिभाषित किया है।

2. अपकृत्य में, प्रतिनिधित्व दायित्य क्या है:
(1) एक व्यक्ति आमतौर पर अपने स्वयं के दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी है
(2) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी है
(3) एक व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में सदोष कार्य के लिए उत्तरदायी है
(4) इनमें से कोई भी नहीं

[AIBE- XI 2017]

Ans. [2]
स्पष्टीकरण- प्रतिनिधित्व दायित्व में, एक व्यक्ति को दूसरे द्वारा किए गए दोष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत को संयुक्त दायित्व के नाम से भी जाना जाता है। सिविल और आपराधिक विधि दोनों के तहत प्रतिनिधित्व दायित्व हो सकता है।
प्रतिनिधित्व दायित्व की अनिवार्यताएँ-
i) पक्षकारों के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए।
ii) गलत कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।
iii) गलत कार्य रोजगार के दौरान होना चाहिए।

3. इनमें से कौन सा दैव कृत्य की श्रेणियों के अंतर्गत आता है:
(1) तूफान और चक्रवात
(2) सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़
(3) बिजली और गरज
(4) उपर्युक्त सभी

[AIBE- XI 2017]

Ans. [4]
स्पष्टीकरण- दैव कृत्य एक सामान्य प्रतिरक्षा है जिसका उपयोग अपकृत्य के मामलों में किया जाता है जब कोई घटना जिस पर प्रतिवादी का कोई नियंत्रण नहीं होता है और क्षति प्रकृति के कृत्य के कारण होती है जैसे बाढ़, चक्रवात, गरज, भूकंप, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाऐं। उचित मानवीय दूरदर्शिता और देखभाल से दैव कृत्य को रोका नहीं जा सकता।

4. षडयंत्र के अपकृत्य में संयोजन का उद्देश्य होना चाहिए:
(1) पीड़ित के विधिक अधिकार का उल्लंघन करें
(2) पीड़ित को नुकसान कारित करता है
(3) संयोजकों के लिए लाभ प्राप्त करें
(4) संयोजकों के हित पूरा करें

[AIBE- XII 2018]

Ans. [2]
स्पष्टीकरण- क्रॉफ्टर षडयंत्र का अर्थ है जब लोगों द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से एक संघ बनाया जाता है, जो अन्यथा वैध होगा, भले ही नुकसान पहुंचाने के आशय से एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो।

5. इंजुरिया साइन दमनम पर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रमुख मामला है?
(1) रायलड्स बनाम फ्लेचर
(2) एशबी बनाम व्हाइट
(3) दोनोंग बनाम स्टीवेंसन
(4) उपरोक्त सभी

[AIBE- XIII 2018]

Ans. [2]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. एशबी बनाम व्हाइट (1703)
2. सैन दास बनाम उजागर सिंह (1940)
3. भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य
4. रवि यशवन्त भोईर बनाम जिला कलेक्टर।
5. डोनौग बनाम स्टीवेन्सन - लापरवाही का सिद्धांत।
6. रायलैंड्स बनाम फ्लेचर – कठोर दायित्व का नियम।

स्पष्टीकरण :- इंजुरिया साइन डेमनम का तात्पर्य पीड़ित पक्ष को कोई चोट, नुकसान या क्षति पहुंचाए बिना वैध अधिकार का उल्लंघन है। जब भी किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो जिस व्यक्ति में अधिकार निहित है, उसे विधिक कार्रवाई करने का अधिकार है।

6. लैटिन शब्द रेस इप्सा लोकिटूर का अर्थ है:
(1) चीज़ें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं
(2) जहां सहमति हैं वहां कोई चोट नहीं है।
(3) दोनों (1) और (2)
(4) इनमें से कोई भी नहीं ।

[AIBE- XIII 2018]

Ans. [1]
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 106 IPC (धारा 109 BSA) में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। (IEA)
स्पष्टीकरण :- रेस इप्सा लोकिटूर एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "व्यक्तिगत चोट विधि में चीजें अपनी कहानी खुद कहती हैं।
रेस इप्सा लोकिटुर की कहावत वादी को लाभ पहुंचाने के लिए लागू हुई क्योंकि वह लापरवाही स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग कर सकता है।

7. निम्नलिखित में से किस मामले में 'सामान्य रोजगार के सिद्धांत' को पहली बार विकसित किया गया था?
(1) रायलड्स बनाम फ्लेचर
(2) प्रिस्टली बनाम फाउलर
(3) एशबी बनाम व्हाइट
(4) वैगन बनाम माउंट

[AIBE- XIII 2018]

Ans. [2]
स्पष्टीकरण – 'सामान्य रोजगार का सिद्धांत' अंग्रेजी कानून से उत्पन्न हुआ था। इस सिद्धांत पर **प्रिस्टली बनाम फाउलर (1837)** के मामले में चर्चा की गई थी।
'सामान्य रोजगार के सिद्धांत' का तात्पर्य उस नियम से है जिसमें नियोक्ता (Employer) अपने एक कर्मचारी द्वारा दूसरे कर्मचारी के प्रति रोजगार के दौरान किए गए लापरवाहीपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी **नहीं** होता है। यह सिद्धांत उस नियम का एक **अपवाद** है जिसमें माना जाता है कि स्वामी (Master) अपने कर्मचारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी (Vicariously liable) होता है।

8. लैटिन सूत्र 'Ubi Jus Ibi remedium' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
(1) जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।
(2) जहाँ उपचार है, वहाँ अधिकार है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - II

Mains Questions Solved

1. किन आधारों पर प्रत्यायोजित विधायन को सारभूत रूप से अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है? आप यह भी बताइये कि कार्यपालिका को नियम बनाने की अनुज्ञेयता एवं अननुज्ञेयता की शक्तियाँ क्या-क्या हैं? सम्बन्धित वादों का हवाला भी दीजिये ।

[BJS 2021]

Ans. एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में, विधायिका के पास अक्सर कानून के हर सूक्ष्म विवरण को तैयार करने के लिए समय और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है। परिणामस्वरूप, यह "विवरण भरने" की शक्ति कार्यपालिका (Executive) को सौंप देती है। इसे प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, यह शक्ति पूर्ण नहीं है। अधिकार-बाह्य का सिद्धांत (Doctrine of Ultra Vires) एक संवैधानिक जांच के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका मूल अधिनियम (Parent Act) या संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न करे।

यद्यपि "प्रत्यायोजित विधान" को किसी 'बेयर एक्ट' की एक धारा में परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी शक्ति भारत के संविधान से प्राप्त होती है:

- **अनुच्छेद 13(3)(a):** "विधि" (Law) को परिभाषित करता है जिसमें कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम या अधिसूचना शामिल है। इसका अर्थ है कि प्रत्यायोजित विधान को मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
- **अनुच्छेद 245:** संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसका निहित अर्थ है कि "अनिवार्य विधायी कार्य" किसी और को नहीं सौंपे जा सकते।

सारवान अधिकार-बाह्य के आधार (Grounds for Substantive Ultra Vires)

एक नियम तब 'सारवान अधिकार-बाह्य' होता है जब नियम की विषय-वस्तु स्वयं उसे बनाने वाले प्राधिकरण की शक्ति से परे हो। इसके मुख्य आधारों में शामिल हैं:

1. **मूल अधिनियम का उल्लंघन:** नियम मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्ति के दायरे से बाहर जाता है (उदाहरण के लिए, यदि अधिनियम "शुल्क" की अनुमति देता है लेकिन कार्यपालिका "कर" लगा देती है)।
2. **संवैधानिक उल्लंघन:** नियम मौलिक अधिकारों (भाग III) या किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है (जैसे, अनुच्छेद 14 - मनमानापन)।
3. **सामान्य कानून के साथ टकराव:** प्रत्यायोजित विधान पहले से मौजूद केंद्रीय या राज्य कानून का विरोध करता है।
4. **तर्कहीनता:** नियम इतना "स्पष्ट रूप से मनमाना" है कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इसे नहीं बनाता (वेडनेसबरी तर्कहीनता)।
5. **अस्पष्टता:** यदि नियम इतना अनिश्चित है कि वह पालन करने के तरीके पर कोई मार्गदर्शन नहीं देता।

स्वीकार्य बनाम अस्वीकार्य प्रत्यायोजन (Permissibility vs. Impermissibility)

स्वीकार्य प्रत्यायोजन (Permissible)	अस्वीकार्य प्रत्यायोजन (Impermissible)
विवरण भरना: प्रवर्तन की तिथियां या विशिष्ट तकनीकी मानक निर्धारित करना।	**अनिवार्य विधायी कार्य:** कानून की "नीति" निर्धारित करना या नया अपराध बनाना।
तथ्य-खोज: यह निर्धारित करने की शक्ति कि कानून को लागू करने के लिए विशिष्ट शर्त कब पूरी होती है।	**कानून को निरस्त/संशोधित करना:** कार्यपालिका मूल अधिनियम की मुख्य संरचना को नहीं बदल सकती।
संशोधन: स्थानीय स्थितियों के अनुसार कानून को ढालने के लिए छोटे बदलाव (नीति बदले बिना)।	**क्षेत्राधिकार छीनना:** वे नियम जो न्यायालयों से न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीनने का प्रयास करते हैं।

ऐतिहासिक निर्णय (Landmark Judgments)

- **इन रे दिल्ली लॉज एक्ट केस (1951):** उच्चतम न्यायालय ने माना कि विधायिका "अनिवार्य विधायी कार्यों" का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती, जिसमें विधायी नीति निर्धारित करना और उसे आचरण के नियम के रूप में औपचारिक रूप देना शामिल है।
- **एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा (1981):** कोर्ट ने उस नियम को रद्द कर दिया जो पहली गर्भावस्था पर एयर होस्टेस की सेवा समाप्त करता था, इसे अनुच्छेद 14 के तहत "घोर मनमाना और भेदभावपूर्ण" होने के कारण सारवान अधिकार-बाह्य करार दिया।
- **द्वारका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1954):** अदालत ने उस नियम को रद्द कर दिया जिसने एक अधिकारी को लाइसेंस देने या देने से इनकार करने की अनियंत्रित शक्ति दी थी, क्योंकि इसमें "नीतिगत दिशा-निर्देश" का अभाव था।
- **चिंतामन राव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1951):** एक क्लासिक मामला जहाँ फसल के मौसम के दौरान बीड़ी बनाने पर रोक लगाने वाले नियम को व्यापार करने के अधिकार (अनुच्छेद 19) पर अनुचित प्रतिबंध के रूप में रद्द कर दिया गया था।

निष्कर्ष

प्रत्यायोजित विधान आधुनिक प्रशासनिक प्रक्रिया की एक "आवश्यक बुराई" है। जहाँ यह शासन के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है, वहीं 'सारवान अधिकार-बाह्य' का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका "कानून की सेवक" बनी रहे, उसकी स्वामी नहीं। "अनिवार्य विधायी कार्य" परीक्षण लागू करके, न्यायपालिका प्रशासनिक दक्षता और कानून के शासन (Rule of Law) के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखती है।

2. "प्रशासनिक विधि का तीव्रतम विकास 20वीं सदी की सबसे महत्त्वपूर्ण और उत्कृष्ट प्रगति है। इस सदी में राज्य के कार्य एवं उसकी भूमिका के दर्शन में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं।"
इस कथन के परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक विधि के अभ्युदय एवं विकास को विस्तार से समझाइये ।

[BJS 2021]

Ans. शासन के दर्शन में परिवर्तन और प्रशासनिक विधि का उदय 20वीं शताब्दी में शासन के दर्शन में एक "व्यापक परिवर्तन" देखा गया। राज्य एक मात्र 'रक्षक' (रक्षा और कानून-व्यवस्था तक सीमित) से बदलकर सामाजिक और आर्थिक कल्याण का 'प्रदाता' बन गया। पालने से लेकर श्मशान तक—राज्य के कार्यों के इस विस्तार ने इन नई प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनों के एक निकाय की आवश्यकता पैदा की। इस प्रकार, प्रशासनिक विधि (Administrative Law) का उदय शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ कि इस विशाल शक्ति का प्रयोग निष्पक्षता और 'विधि के शासन' (Rule of Law) की सीमाओं के भीतर किया जाए।

दंड संहिता या अनुबंध कानून के विपरीत, प्रशासनिक विधि किसी एक "बेयर एक्ट" में संहिताबद्ध नहीं है। इसके बजाय, यह संवैधानिक सिद्धांतों से निकला एक न्यायाधीश-निर्मित कानून (Judge-made law) है।

- **अनुच्छेद 73 और 162 (भारत का संविधान):** संघ और राज्यों की "कार्यकारी शक्ति के विस्तार" को परिभाषित करते हैं। यह निर्धारित करता है कि कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-विस्तृत (Co-extensive) है।
- **अनुच्छेद 13(3)(a):** जैसा कि पहले चर्चा की गई है, "विधि" में नियम, विनियम और सूचनाएं शामिल हैं, जो प्रशासनिक कार्यों को 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे में लाती हैं।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

1. निम्न में विभेद स्पष्ट कीजिए

(A) सारवान विधि एवं प्रक्रियात्मक विधि ।

[RJS, 2018]

(B) निरसन एवं संशोधन ।

[RJS, 2018]

(C) न्यायिक पूर्वनिर्णय एवं विधान।

[RJS, 2018]

Ans – (A) सारवान विधि बनाम प्रक्रियात्मक विधि

क्र.सं.	अंतर का आधार	सारवान विधि (Substantive Law)	प्रक्रियात्मक विधि (Procedural Law)
1	**प्राथमिक परिभाषा**	यह व्यक्तियों के वास्तविक **अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और दायित्वों** को परिभाषित करती है।	यह उन अधिकारों और कर्तव्यों को लागू करने के लिए **"तंत्र" (Machinery)** या पद्धतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।
2	**प्रवर्तन की प्रकृति**	सारवान विधि में संशोधन सामान्यतः **भविष्यलक्षी (Prospective)** होते हैं और निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करते, जब तक कि स्पष्ट रूप से न कहा गया हो।	केवल प्रक्रिया के मामलों से संबंधित विधियों को **भूतलक्षी (Retrospective)** माना जाता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई आशय प्रकट न हो।
3	**निहित अधिकार**	यह निहित अधिकारों के सृजन या उनके हनन (Impairment) से संबंधित होती है।	यह निहित अधिकार नहीं बनाती; किसी भी व्यक्ति का किसी विशेष **प्रक्रिया में कोई निहित अधिकार नहीं** होता है।
4	**विधायी आशय**	बीते हुए लेनदेन को प्रभावित करने के लिए इसमें **स्पष्ट और विशिष्ट शब्दों** की आवश्यकता होती है।	यह मुकदमेबाजी के भविष्य के संचालन को विनियमित करती है, भले ही वाद-कारण (Cause of action) अतीत में उत्पन्न हुआ हो।
5	**अनिवार्यता**	इसका आज्ञापरक या निदेशात्मक होना संबंधित प्रावधान के **"विस्तार और उद्देश्य"** पर निर्भर करता है।	प्रक्रियात्मक संविधियों में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के शब्दों को सामान्यतः **आज्ञापरक (Mandatory)** माना जाता है।
6	**संशोधन का प्रभाव**	सारवान विधि में किया गया संशोधन भूतलक्षी नहीं होता, जब तक कि वह अनिवार्य रूप से विवक्षित न हो।	प्रक्रियात्मक विधि में किया गया संशोधन **सभी लंबित कार्यवाहियों** (Pending actions) पर लागू होता है।
7	**भार/लाभ**	यह अक्सर नए भार (Burdens) थोपती है या मौजूदा दायित्वों को कमजोर करती है।	इसे एक कार्यक्षम प्रक्रिया के माध्यम से **"न्याय की प्राप्ति"** (Attainment of justice) को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है।
8	**केंद्र बिंदु (Focus)**	यह इस बात पर केंद्रित होती है कि विधिक दावा **"क्या"** है (कानून का सार)।	यह इस बात पर केंद्रित होती है कि प्रक्रिया **"कैसे"** पूरी की जाएगी (न्यायालय के भीतर की प्रक्रिया)।

(B) निरसन बनाम संशोधन (Repeal vs. Amendment)

क्र.सं.	अंतर का आधार	निरसन (Repeal)	संशोधन (Amendment)
1	**मूल उद्देश्य**	यह किसी मौजूदा संविधि को **रद्द, समाप्त या पूरी तरह से निरसित** (Abrogate) करता है।	यह मूल कानून में **सुधार या उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए** उसमें कुछ जोड़ता है या परिवर्तन करता है।
2	**विधायी स्वरूप**	इसे **"निरसनकारी संविधि"** (Repealing Statute) कहा जाता है जो किसी अन्य अधिनियम को समाप्त करती है।	इसे **"संशोधनकारी संविधि"** (Amending Statute) कहा जाता है जो किसी अधिनियम के कुछ हिस्सों को बदलती है।
3	**अस्तित्व का विस्तार**	निरसित अधिनियम की **प्रवर्तन शक्ति समाप्त** हो जाती है (बचाए गए अधिकारों को छोड़कर)।	मूल अधिनियम बना रहता है, लेकिन एक **संशोधित या प्रतिस्थापित (Substituted)** रूप में अस्तित्व में रहता है।
4	**साधारण खंड अधिनियम**	यह साधारण खंड अधिनियम, 1897 की **धारा 6** के अधीन है, जो निरसन से पहले अर्जित अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करती है।	पाठ्य संशोधनों (अक्षरों को हटाना या जोड़ना) के मामले में, संशोधन तब भी जारी रहता है जब **संशोधनकारी अधिनियम स्वयं निरसित** हो जाए (धारा 6-क)।
5	**पुनर्जीवन (Revival)**	निरसित अधिनियम तब तक पुनर्जीवित नहीं होता जब तक विधायिका **स्पष्ट रूप से** ऐसा करने का आशय व्यक्त न करे।	इसमें "पुनर्जीवन" शामिल नहीं है क्योंकि **मूल अधिनियम पूरी प्रक्रिया के दौरान** कानून की किताब में बना रहता है।
6	**विवक्षित प्रवर्तन**	यह **विवक्षित (Implied)** हो सकता है जब बाद का अधिनियम पुराने के साथ इतना असंगत हो कि दोनों साथ न रह सकें।	यह आमतौर पर **स्पष्ट (Express)** होता है, जिसमें विशिष्ट पाठ को हटाने, डालने या प्रतिस्थापित करने का निर्देश होता है।
7	**समय का संदर्भ**	**शाश्वत (Perpetual)** संविधियां तब तक लागू रहती हैं जब तक उन्हें निरसित न किया जाए।	**अस्थाई (Temporary)** संविधियों को निरसन के बजाय अक्सर संशोधन द्वारा "विस्तारित" (Extend) किया जाता है।
8	**संदर्भ पर प्रभाव**	किसी अधिनियम के निरसित भाग का उपयोग अभी भी **शेष अनिर्धारित हिस्सों की व्याख्या** करने के लिए किया जा सकता है।	संशोधन भविष्य के न्यायिक निर्वचन (Interpretation) के लिए अधिनियम के **"संदर्भ"** को ही बदल देता है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

1. भारत में जनहित याचिका (PIL) के दुरुपयोग की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। न्यायपालिका ने वास्तविक जनहित के मामलों और तुच्छ अथवा राजनीतिक उद्देश्य से दायर याचिकाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास कैसे किया है?

Ans– **प्रस्तावना:**लोकहित याचिका संविधानिक वाद का एक विशेष रूप है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। पारंपरिक वादों में जहाँ *लोकस स्टैंडी* का कठोर नियम लागू होता है (अर्थात केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जो सीधे प्रभावित हुआ हो), वहीं PIL में कोई भी जनहित से प्रेरित व्यक्ति या समूह, bona fide भाव से, सामूहिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। प्रारंभ में इसे "सामाजिक परिवर्तन का इंजन" माना गया, किंतु समय के साथ इसके बार-बार दुरुपयोग के कारण यह तंत्र आलोचना का विषय भी बन गया है और इसे एक दोधारी तलवार कहा जाने लगा है।

भारत में **जनहित याचिका (PIL)** का विकास उन कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय के संवैधानिक जनादेश को अर्थपूर्ण बनाने हेतु किया गया था, जो गरीबी या अज्ञानता के कारण अदालतों तक नहीं पहुँच सकते। हालाँकि, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में शुरू की गई इस व्यवस्था में समय के साथ **दुरुपयोग और दुरुपयोग** के गंभीर मामले सामने आए हैं।

भारत में जनहित याचिका (PIL) का दुरुपयोग

PIL के दुरुपयोग की आलोचनात्मक विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से की जा सकती है:

- **व्यक्तिगत या निजी हितों की पूर्ति:** कई मुकदमेबाज़ सामान्य मुकदमों के विकल्प के रूप में PIL के सस्ते और असाधारण उपचार का उपयोग निजी शिकायतों को निपटाने या व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। इसे अक्सर सार्वजनिक लेबल के तहत "निजी स्वार्थ याचिका" (Personal Interest Litigation) कहा जाता है।
- **प्रचार और लोकप्रियता:** इसे अक्सर "प्रचार हित याचिका" भी कहा जाता है, जहाँ कुछ वकील या कार्यकर्ता केवल सामाजिक लोकप्रियता या मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिकाएँ दायर करते हैं।
- **राजनीतिक और वित्तीय प्रेरणा:** PIL का उपयोग कभी-कभी राजनीतिक या आर्थिक रूप से प्रेरित एजेंडे को पूरा करने के लिए किया जाता है। कुछ विशेषज्ञ मुकदमेबाज इसे **ब्लैकमेल और जबरन वसूली** के उपकरण के रूप में भी उपयोग करते हैं।
- **तुच्छ और नगण्य मुद्दे:** PIL का दायरा इतना बढ़ गया है कि इसमें क्रिकेट टीम को वापस बुलाने या पेड़ों के साथ ज्योतिषीय विवाह को चुनौती देने जैसे अत्यंत तुच्छ मामले शामिल होने लगे हैं, जो न्यायपालिका के बहुमूल्य समय पर "अतिक्रमण" करते हैं।
- **न्यायिक संसाधनों पर बोझ:** तुच्छ याचिकाएँ उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में पहले से लंबित मामलों के बोझ को बढ़ाती हैं, जिससे सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है और अन्य मुकदमेबाजों के त्वरित सुनवाई के अधिकार से समझौता होता है।
- **न्यायिक अतिरेक:** PIL के माध्यम से अत्यधिक न्यायिक सक्रियता कभी-कभी "न्यायिक दुस्साहस" में बदल जाती है, जहाँ अदालतें उन नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करती हैं जो कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

वास्तविक और तुच्छ याचिकाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के न्यायिक प्रयास

न्यायपालिका ने "उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता" दिखाते हुए सार्वजनिक भलाई की रक्षा और "हस्तक्षेप करने वालों" (busybodies) को हतोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए कई तंत्र विकसित किए हैं:

1. **सद्भावना (Bona Fide) की सख्त आवश्यकता:** अदालतें अब याचिकाकर्ता की साख की कड़ाई से जांच करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सद्भावना से कार्य कर रहे हैं, संदेह से ऊपर हैं, और परिणाम में उनका कोई व्यक्तिगत हित या "गुप्त उद्देश्य" नहीं है।
2. **सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (1988/2003):** न्यायालय ने विशिष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए हैं कि किन श्रेणियों की याचिकाओं को स्वीकार किया जाएगा (जैसे बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण) और किन्हें नहीं (जैसे मकान मालिक-किरायेदार मामले, सेवा मामले)।
3. **प्रक्रियात्मक स्क्रीनिंग:** सर्वोच्च न्यायालय ने **PIL और सूचना सेल** (PIL and Information Cell) की स्थापना की है, जहाँ विशेषज्ञ कर्मचारी न्यायाधीश के समक्ष रखने से पहले पत्रों और संचारों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे "गलत या तुच्छ" नहीं हैं।
4. **दृष्टांत लागत (Exemplary Costs) का अधिरोपण:** एक निवारक उपाय के रूप में, न्यायपालिका तुच्छ याचिकाओं को खारिज करते हुए वादियों पर भारी वित्तीय दंड या "दृष्टांत लागत" लगाती है।
5. **कठोर दंडात्मक कार्रवाई:** दुरुपयोग के चरम मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भावनापूर्ण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ **अदालत की अवमानना** के लिए अभियोजन शुरू करने जैसे कठोर आदेश भी दिए हैं।
6. **'बलवंत सिंह चौफाल' (2010) मामले के दिशा-निर्देश:** सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को अधिक चयनात्मक होने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ बनाईं कि PIL के "आकर्षक ब्रांड नाम" का उपयोग शरारतपूर्ण उद्देश्यों के लिए न किया जाए।
7. **शपथ पत्र (Affidavit) की आवश्यकता:** पत्राचार क्षेत्राधिकार के व्यापक दायरे को नियंत्रित करने के लिए 2003 में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया, जिसके तहत याचिका में दिए गए बयानों के साथ एक शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया।

निष्कर्ष

यद्यपि PIL एक "दोधारी तलवार" है जिसने मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम दिए हैं, इसका दुरुपयोग इसे "निष्प्रभावी" बनाने की धमकी देता है। न्यायपालिका द्वारा तुच्छ याचिकाओं को छांटने की सक्रिय भूमिका इसे **"न्याय के लिए उपयोग की जाने वाली सभी की तलवार"** और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक परिवर्तन के एक वैध उपकरण के रूप में सुरक्षित रखने के लिए अपरिहार्य है।

2. भारत में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करने के संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32, 226 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 किस प्रकार PIL के क्षेत्र को विस्तृत करते हैं

Ans– **जनहित याचिका (PIL)** भारत में एक अद्वितीय न्यायिक तंत्र है जिसे गरीबी या अज्ञानता के कारण अदालतों तक नहीं पहुँच पाने वाले कमज़ोर और वंचित वर्गों के लिए न्याय के संवैधानिक जनादेश को साकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है,। पारंपरिक मुकदमों के विपरीत, जो व्यक्तिगत शिकायतों पर केंद्रित होते हैं, PIL **सामूहिक और विस्तृत अधिकारों** तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रवर्तन पर केंद्रित है।

PIL के लिए संवैधानिक प्रावधान

PIL का कानूनी आधार उच्च न्यायपालिका के **रिट क्षेत्राधिकार** (Writ Jurisdiction) में निहित है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार प्रदान करता है:

- **अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय):** यह अनुच्छेद **मौलिक अधिकारों** (भाग III) के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने के अधिकार की गारंटी देता है,। न्यायालय ने अनुच्छेद 32 की व्याख्या केवल रिट जारी करने की शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि नए उपचारों और रणनीतियों को तैयार करके गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के **संवैधानिक दायित्व** के रूप में की है,।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

www.LinkingLaws.com

1. सर आइवर जेनिंग्स प्रशासनिक कानून को कैसे परिभाषित करते हैं?

उत्तर: श्रीमान, जेनिंग्स इसे **प्रशासन से संबंधित कानून** के रूप में परिभाषित करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

2. संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?

उत्तर: श्रीमान, जहाँ संवैधानिक कानून राज्य की **व्यापक संरचना** और अंगों से संबंधित है, वहीं प्रशासनिक कानून प्रशासनिक अधिकारियों की **शक्तियों और कार्यों** के विस्तार से संबंधित है।

3. प्रशासनिक कानून को कानून की "कार्यात्मक" (functional) शाखा क्यों कहा जाता है?

उत्तर: श्रीमान, क्योंकि यह सैद्धांतिक या कानूनी दृष्टिकोण के बजाय एक **कार्यात्मक दृष्टिकोण** का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे अधिकारी तकनीकी कठोरता के बिना जटिल आधुनिक समस्याओं को हल कर सकते हैं।

4. प्रशासनिक कानून के संदर्भ में "लेस-फेयर" (Laissez-faire) से "कल्याणकारी राज्य" (Welfare State) में संक्रमण की व्याख्या करें।

उत्तर: श्रीमान, 19वीं सदी के **लेस-फेयर** (न्यूनतम नियंत्रण) ने बड़े पैमाने पर शोषण को जन्म दिया; आधुनिक **कल्याणकारी राज्य** सामाजिक न्याय और सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए एक "सकारात्मक" भूमिका निभाता है।

5. राम जवाया बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने "कार्यकारी शक्ति" के संबंध में क्या टिप्पणी की?

उत्तर: श्रीमान, न्यायालय ने कार्यकारी शक्ति को **सरकारी कार्यों के अवशेष** के रूप में परिभाषित किया जो विधायी और न्यायिक कार्यों को हटा दिए जाने के बाद बचते हैं।

6. 20वीं सदी में प्रशासनिक कानून के तेजी से विकास के दो कारण बताएं।

उत्तर: श्रीमान, कारणों में **पारंपरिक न्यायिक प्रणालियों की अपर्याप्तता** (धीमी और जटिल) और **विधायी प्रक्रियाओं की कठोरता** शामिल हैं।

7. प्रशासनिक कानून "निवारक" (preventive) न्याय कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर: श्रीमान, अधिकारी नुकसान होने से पहले उसे रोकने के लिए लाइसेंसिंग या दर निर्धारण जैसे **निवारक उपाय** करते हैं (जैसे भोजन में मिलावट), बजाय इसके कि बाद में केवल अपराधी को दंडित किया जाए।

8. भारत में प्रशासनिक कानून के चार प्रमुख स्रोत क्या हैं?

उत्तर: श्रीमान, वे हैं: (1) **संविधान**, (2) **अधिनियम/विधियाँ**, (3) अध्यादेश और अधिसूचनाएँ, और (4) **न्यायिक निर्णय**।

9. क्या प्रशासनिक कानून का पता प्राचीन भारत में लगाया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, श्रीमान। इसका पता मौर्यों और गुप्तों के अधीन राजाओं द्वारा पालन की जाने वाली **धर्म** की अवधारणाओं से लगाया जा सकता है, जहाँ शासक भी कानून के अधीन था।

10. आधुनिक राज्य की "पालने से कब्र तक" (cradle to grave) की अवधारणा क्या है?

उत्तर: श्रीमान, इसका अर्थ है कि आधुनिक कल्याणकारी राज्य अपने प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से जीवन के हर पहलू में, जन्म से मृत्यु तक, अपने **नागरिकों की देखभाल** करता है।

11. क्या प्रशासनिक कानून एक संहिताबद्ध (codified) विषय है?

उत्तर: नहीं, श्रीमान। यह मुख्य रूप से **अलिखित और न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून** है जो अदालतों के समक्ष तथ्यात्मक स्थितियों के माध्यम से विकसित हुआ है।

12. बर्नार्ड श्वार्ट्ज के अनुसार प्रशासनिक कानून का "लक्ष्य" क्या है?

उत्तर: श्रीमान, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि **व्यक्ति और राज्य** को **न्याय के कठघरे में समानता** के स्तर पर रखा जाए।

13. फ्रांसीसी *ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव* का संस्थापक कौन था?

उत्तर: श्रीमान, **नेपोलियन बोनापार्ट** ने 1799 में इसकी स्थापना की थी जब उन्होंने *कौंसिल्ड एटैट* (Conseil d'Etat) का गठन किया था।

14. अंग्रेजी प्रणाली की तुलना में फ्रांसीसी प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता का उल्लेख करें।

उत्तर: श्रीमान, यह व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध सरकार को **विशेष अधिकार और विशेषाधिकार** देता है, जिससे अधिकारियों को सामान्य अदालतों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा जाता है।

15. *कौंसिल्ड एटैट* (Conseil d'Etat) क्या है?

उत्तर: श्रीमान, यह फ्रांस में **सर्वोच्च प्रशासनिक अपील न्यायालय** है और सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।

16. क्या *कौंसिल्ड एटैट* का मजिस्ट्रेटों और अभियोजकों पर अधिकार क्षेत्र है?

उत्तर: नहीं, श्रीमान। इसका मजिस्ट्रेटों और अभियोजकों पर **कोई अधिकार क्षेत्र नहीं** है।

17. *बैरल मामले (1954)* के महत्व की व्याख्या करें।

उत्तर: श्रीमान, इस मामले में, *कौंसिल्ड एटैट* ने **मंत्री के उस आदेश को रद्द कर दिया** जिसने एक उम्मीदवार को परीक्षा देने से रोक दिया था, जो शक्ति के दुरुपयोग की समीक्षा करने की इसकी शक्ति को दर्शाता है।

18. क्या *कौंसिल्ड एटैट* के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील की जा सकती है?

उत्तर: नहीं, श्रीमान। उच्चतम *कौंसिल* से किसी अन्य अदालत में **कोई अपील नहीं** होती है।

19. यदि फ्रांस में सामान्य और प्रशासनिक अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र का संघर्ष होता है तो क्या होता है?

उत्तर: श्रीमान, ऐसे संघर्षों का निर्णय **ट्रिब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्ट्स** (Tribunal des Conflicts) द्वारा किया जाता है।

20. ए.वी. डायसी ने फ्रांसीसी प्रणाली की आलोचना क्यों की?

उत्तर: श्रीमान, डायसी का मानना था कि यह **विधि के शासन (Rule of Law) के विपरीत** था क्योंकि इसने अधिकारियों को विशेष सुरक्षा और अलग अदालतें दी थीं, जिससे उन्हें लगा कि सामान्य नागरिक असुरक्षित रह गए हैं।

21. "विधि के शासन" (Rule of Law) की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है?

उत्तर: श्रीमान, **मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक** को इसका जनक कहा जाता है, जिन्होंने दावा किया था कि राजा को "ईश्वर और कानून" के अधीन होना चाहिए।

22. ए.वी. डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन के तीन अंग कौन से हैं?

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय 1: विधि की प्रकृति और अवधारणा

1. 'विधिशास्त्र' (Jurisprudence) शब्द की व्युत्पत्ति क्या है?
उत्तर: श्रीमान, यह लैटिन शब्द **'Jurisprudentia'** से बना है; 'Juris' का अर्थ कानूनी है और 'prudentia' का अर्थ **कौशल या ज्ञान** है।

2. ऑस्टिन ने विधिशास्त्र के दायरे को कैसे परिभाषित किया?
उत्तर: श्रीमान, ऑस्टिन ने इसे **"विधिशास्त्र के प्रांत"** के रूप में निर्धारित किया, जो उनके अच्छे या बुरे होने की परवाह किए बिना **निश्चित विधि** (positive law) या 'कड़ाई से कहे जाने वाले कानूनों' पर केंद्रित है।

3. सामण्ड द्वारा दी गई विधिशास्त्र की परिभाषा क्या है?
उत्तर: श्रीमान, सामण्ड ने इसे **"नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांतों के विज्ञान"** के रूप में परिभाषित किया, जो अदालतों द्वारा लागू राज्य के कानून को संदर्भित करता है।

4. विधिशास्त्र को "कानून की आँख" क्यों कहा जाता है?
उत्तर: श्रीमान, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कानूनी नियमों के **अंतर्निहित सिद्धांतों** का पता लगाता है और कानून की जटिलताओं को अधिक प्रबंधनीय और तर्कसंगत बनाता है।

5. हॉलैंड विधिशास्त्र को कैसे परिभाषित करते हैं?
उत्तर: श्रीमान, हॉलैंड इसे **"निश्चित विधि का औपचारिक विज्ञान"** मानते हैं, जो स्वयं भौतिक नियमों के बजाय कानूनी नियमों द्वारा शासित मानवीय संबंधों से संबंधित है।

6. जूलियस स्टोन का विधिशास्त्र का प्रसिद्ध विवरण क्या है?
उत्तर: श्रीमान, उन्होंने इसे **"वकीलों की बहिर्मुखता"** कहा, जिसका अर्थ है अन्य विषयों के ज्ञान के आलोक में कानून का परीक्षण।

7. "व्याख्यात्मक" और "निंदात्मक" विधिशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर: श्रीमान, बेंथम ने **व्याख्यात्मक** (कानून जैसा है) और **निंदात्मक** (कानून जैसा होना चाहिए) के बीच अंतर किया।

8. विधिशास्त्र और कानूनी सिद्धांत के बीच क्या संबंध है?
उत्तर: श्रीमान, कानूनी सिद्धांत विधिशास्त्र का एक हिस्सा है जो समाज में **कानून के कार्य** और अन्य विषयों के साथ इसके अंतर्संबंधों से संबंधित है।

9. अल्पियन का विधिशास्त्र से क्या तात्पर्य था?
उत्तर: श्रीमान, उन्होंने इसे **"दिव्य और मानवीय चीजों का ज्ञान, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान"** के रूप में परिभाषित किया।

10. क्या विधिशास्त्र नए नियमों की खोज से संबंधित है?
उत्तर: नहीं, श्रीमान। इसका उद्देश्य **नए नियमों की खोज करना नहीं** बल्कि पहले से ज्ञात नियमों और उनके अंतर्निहित अर्थों पर विचार करना है।

11. कानून और नैतिकता के बीच क्या संबंध है?
उत्तर: श्रीमान, उनका **एक ही मूल** है, और दोनों का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण करना है, हालांकि कानून को राज्य की शास्ति का समर्थन प्राप्त है।

12. अगस्त कॉम्टे द्वारा "तथ्य के रूप में कानून" की अवधारणा को समझाएं।
उत्तर: श्रीमान, यह व्यक्ति के बजाय **समाज** पर ध्यान केंद्रित करता है, यह दावा करते हुए कि मनुष्य के पास केवल अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है।

13. लॉयड के अनुसार कानून की "अच्छी" परिभाषा की क्या आवश्यकताएं हैं?
उत्तर: श्रीमान, इसमें वह शामिल होना चाहिए जो स्वीकार किया गया है, **उसे बाहर करना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से कानून नहीं है** (जैसे डकैतों के नियम), और सीमावर्ती मामलों को संबोधित करना चाहिए।

14. पेटन ने कानून को कैसे परिभाषित किया?
उत्तर: श्रीमान, उन्होंने कानून को एक समुदाय द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किए गए और अनुपालन के तंत्र द्वारा समर्थित **"कानूनी व्यवस्था"** के रूप में वर्णित किया।

15. ग्रे द्वारा दी गई कानून की परिभाषा क्या है?
उत्तर: श्रीमान, कानून उन नियमों से बना है जिन्हें **अदालतें** अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण के लिए **निर्धारित करती हैं**।

16. सामण्ड के न्यायिक सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है?
उत्तर: श्रीमान, केंद्रीय विचार **"jus and recht"** है, जिसका अर्थ है कि सारा कानून कानूनों द्वारा निर्मित नहीं होता है और सभी कानून कानून का निर्माण नहीं करते हैं।

17. सार्वजनिक कानून को कैसे विभाजित किया गया है?
उत्तर: श्रीमान, इसे **संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और आपराधिक कानून** में विभाजित किया गया है।

18. "दायित्वों का कानून" (Law of Obligations) क्या है?
उत्तर: श्रीमान, इसमें **अनुबंध, आभासी-अनुबंध और अपकृत्य** शामिल हैं।

19. क्या कोई अनैतिक कार्य कानूनी हो सकता है?
उत्तर: हाँ, श्रीमान। **कृतघ्नता या कठोर हृदयता** जैसे कार्य अनैतिक हैं लेकिन अवैध नहीं हैं।

20. यदि कानून लोकप्रिय मानकों से पीछे रह जाता है तो क्या होता है?
उत्तर: श्रीमान, पेटन के अनुसार, यह **अपमानित होता है**, और यदि मानक बहुत ऊंचे हैं, तो प्रवर्तन कठिन हो जाता है।

21. हार्ट के अनुसार नैतिकता के चार गुणों का उल्लेख करें।
उत्तर: श्रीमान, वे हैं: (i) महत्व, (ii) परिवर्तन से मुक्ति, (iii) **स्वैच्छिक चरित्र**, और (iv) नैतिक दबाव।

22. "व्यवस्थित विधिशास्त्र" किससे संबंधित है?
उत्तर: श्रीमान, यह किसी भी समय मौजूद एक **वास्तविक कानूनी प्रणाली** की सामग्री से संबंधित है; इसे व्याख्यात्मक विधिशास्त्र भी कहा जाता है।,

23. विधिशास्त्र के लिए प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: श्रीमान, जिन उद्देश्यों को **प्रस्तावना** प्राप्त करने का प्रयास करती है, वे अनिवार्य रूप से कानूनी प्रणाली के नैतिक लक्ष्य हैं।,

24. विधिशास्त्र कानून को अधिक प्रबंधनीय कैसे बनाता है?
उत्तर: श्रीमान, कानूनी जटिलताओं को स्पष्ट करने वाली **संगठनात्मक अवधारणाओं** का निर्माण और व्याख्या करके।,

25. कानूनी आदेश की वैधता पर चर्चा करने वाले एक ऐतिहासिक मामले का उल्लेख करें।
उत्तर: श्रीमान, **स्टेट बनाम डासो** जैसे मामले कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में 'मूल मानक' (grundnorm) की प्रभावशीलता पर चर्चा करते हैं।

अध्याय 2: विधिशास्त्र की विचारधाराएं

26. "विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद" का जनक किसे माना जाता है?
उत्तर: श्रीमान, **जेरेमी बेंथम** इसके वास्तविक संस्थापक हैं, हालांकि आमतौर पर इसका श्रेय जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है।,

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition

Civil Major Laws

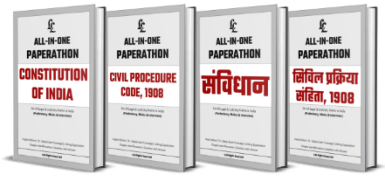

Criminal Major Laws

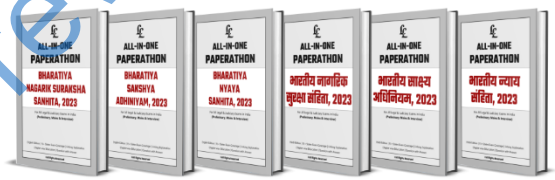

Civil Minor Laws

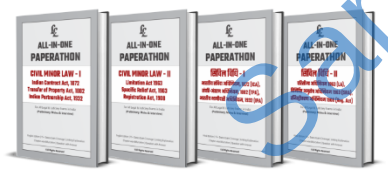

Criminal Minor Laws

Family Laws

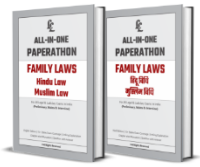

Uncodified Laws

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

www.LinkingLaws.com

Sample Preview